phone is provided under IPT Plan 101 and a maximum of 2 telephones can be connected in parallel subject to certain conditions. Plug and Socket arrangement is provided under IPT Plan 102 and a maximum of 4 sockets are permitted. Internal extensions with inter-communication facility is provided under IPT Plan 103 and a maximum of 2 extensions are permitted. External connections with communications facility is provided under IPT Plan 104; only one extension is permitted. Extension without inter-communication facility is provided under IPT Plan 105 and only 1 extension is permitted. These limits applies to official connections provided to the officer of Telephone Department as well.

(b) The Service telephone connections at the residences of the officers of the P & T are permitted to continue in the following cases.

(1) When an officer proceeds on leave and is likely to return to the same station.

(2) When an officer leaves the station on temporary transfer, and

(3) When an officer is deputed by the Department for training or other Departmental work away from the station.

The facility is allowed for a period not exceeding 6 months.

(c) This is being checked and if any non-standard or unapproved facilities are found on residential Service telephones of P & T officers, these will be terminated.

## डाकघरों में कटे फटे और खराब नोटों का बदला जाना

760. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार बोर्ड कटे फटे और खराब नोटों को डाकघरों के माध्यम से बदलने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई)** : (क) और (ख). डाकघरों में ऐसे करेंसी नोट स्वीकार किए जा रहे हैं जो जरा खराब या थोड़ विकृत हों । डाकघरों में कटे फटे करेंसी नोट स्वीकार करने या बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

## दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रु० की धन राशि का भुगतान

761. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली सार्वजनिक सभा के लिए मंच आदि का निर्माण करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रु० की धनराशि का भुगतान किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि इस बीच वसूल कर ली गई है और उक्त इस्पात संयंत्र ने इतनी बड़ी धनराशि दुर्ग कांग्रेस समिति को किस आधार पर दी थी और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही ही है?

**इस्पात और खान मंत्री श्री (बीजू पटनायक)** : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि मार्च, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सम्बोधित की जाने वाली सार्वजनिक सभा के मंच आदि का निर्माण करने के लिए भिलाई इस्पात सयंत्र ने दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रू० की धनराशि दी थी । लेकिन मार्च, 1977

में भिलाई में तत्कालीन प्रधान मंत्री की उपर्युक्त सार्वजनिक सभा के सम्बन्ध में दुर्ग प्रशासन की विशेष प्रार्थना पर कुछ प्रबन्ध किए गए थ जिन में भाषण मंच के चारों ओर जंगला लगाने, पानी की टंकी और बचाव व्यवस्था शामिल थीं । यह प्रबंध इस स्पष्ट धारणा से किऐ गए थे कि इनका भुगतान क्या जाएगा । तदनुसार उपर्युक्त सेवाओं के लिए जिला प्राधिकारियों को भुगतान के लिए 21,985 रुपय के खर्चे के बिल भेजे गए थे । अभी तक इन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और कारखाने के प्रबंधक जिला अधिकारियों से इस मामले में लिखा–पढ़ी कर रहे हैं ।

**अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में काम कर रहे ड्रेसरों की पदोन्नति**

762. **श्री दयाराम शाक्य : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दसवीं कक्षा पास कर्मचारियों कों पांच वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति देती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में इसी योग्यता वाले ड्रेसरों की पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी किसी तकनीकी पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :** (क) जी, नहीं । ऐसा कोई नियम नहीं है ।

(ख) और (ग) अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में काम कर रहे ड्रेसरों की पदोन्नति सबंधी अवसर वैसे ही हैं कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये हैं । ये अवसर उच्च ग्रेड में पदों की उपलब्धता और उनके लिये उम्मीदवारों के पास अपेक्षित अर्हताये होने पर निभर करते हैं । जो ड्रेसर अपने पद पर स्थायी होते हैं और जिनकी अपने ग्रेड में कम से कम दस वर्ष की सेवा होती है वे ही सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के पात्र होते हैं ।

**इस्पात संयंत्रों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता**

763. **श्री दया राम शाक्य : इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई दल नियुक्त किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल द्वारा क्या सिफारिश की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री करिया मुण्डा) :**

(क) और (ख) : जी, नही । फिर भी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल, 1973 में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिए फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्ति की थी । समिति ने फालतू पुर्जों की आवश्यकाताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

1. सभी इस्पात कारखानों में सर्वनिष्ठ समान रूप से काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, मध्यम तथा भारी श्रेणी के फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना की जाये ।

2. इस्पात कारखानों की इंजीनियरी कर्मशालाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए ।